# प्रेस-नोट दिनांक-28.08.2024

**जनपद चन्दौली**

**◆चाक-चौबंद सुरक्षाव्यवस्था के दृष्टिगत व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, बैंकों व संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहनों की सघन चेकिंग हेतु चलाया गया विशेष अभियान**

**◆बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरों व अलार्म की भी परखी जा रही व्यवस्था**

**◆बैंक ड्यूटी पर कार्यरत पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश**

**चन्दौली-** जनपद चन्दौली में स्थित बैंकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत, श्री आदित्य लाग्हें पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा बैंकों व उसके आसपास सघन चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के क्रम में समस्त थाना क्षेत्र व थाना व चौकी प्रभारियों सहित चेकिंग हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी बैंक/पोस्ट ऑफिस/ग्राहक सेवा केंद्र व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/ सर्राफा बाजार व उसके आसपास संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बैंकों में लगे अलार्म एवं सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया कि सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं या नही, शाखा प्रबंधक से इस सम्बन्ध में वार्ता की गयी। थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख प्वाइंटों पर संदिग्धों को चिन्हित करते हुए बैरियर लगाकर संदिग्ध बाइक सवारों व वाहनों को चेकिंग किया जा रहा है। बिना नंबर व गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बैंक डयूटी में लगे पुलिसकर्मियों को चेक कर सतर्कतापूर्वक डयूटी करने हेतु निर्देश दिये गये। बैंक परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को बैंक परिसर से बाहर किया गया।

**प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक- 28.08.2024**

**थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी को किया गया गिरफ्तार**

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक, चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में थानाध्यक्ष नौगढ़ कृपेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना नौगढ़ की पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28.08.2024 को उ0नि0 अशोक सिंह मय टीम द्वारा वांछित/वाराण्टी की गिरफ्तारी के क्रम में निर्गत NBW मु0नं0 963/2000 धारा 26/63 वन अधिनियम से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त को समय 11.30 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी है।

पंजीकृत अभियोग

NBW मु0नं0 963/2000 धारा 26/63 वन अधिनियम थाना नौगढ

**गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त**

1.रविश प्रताप उर्फ बुल्लू पुत्र डंगर नि0 ग्राम अमदहां थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली उम्र 45 वर्ष

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

1.कृपेन्द्र प्रताप सिंह थानाध्यक्ष नौगढ जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 अशोक सिंह थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

3.हे0का0 आनन्द शुक्ला थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

**प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28.08.2024**
**जनपद चन्दौली**

**□ पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के व्यापार मंडल के प्रतिनिधि एवं व्यापारी बन्धुओं के साथ की गई बैठक।**
**□ पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में हुई बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक सदर की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई व्यापारी बन्धुओ की मीटिगं ।**
**□ सुरक्षा व समस्या सहित विभिन्न बिंदुओं पर की गई परिचर्चा।**
**□ पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे "आपरेशन त्रिनेत्र" के तहत अपने अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगाने हेतु सभी से की गई अपील।**
**□ संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु आदि के दिखाई देने या ऐसी किसी जानकारी पर तुरन्त पुलिस को सूचित करने हेतु की गई अपील।**

**चन्दौली।** पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे की निर्देशन में आज दिनांक 28/08/2024 को पुलिस लाइन्स चन्दौली स्थित सभागार कक्ष में व्यापारी बन्धुओं/उद्यमियों/सर्राफा व्यवसाईयों के साथ मासिक गोष्ठी की गई।व्यापारी बन्धुओं के समस्याओं व शिकायतों को सुन उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

गोष्ठी के दौरान विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक सदर व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय द्वारा व्यापारी बन्धुओं को पुलिस की तरफ से हर समय हर सम्भव सहायता व सुरक्षा का दिया गया भरोसा तथा यह भी कहा गया कि कोई भी किसी भी समय किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत पुलिस से बता सकता है जिसका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाएगा। व्यापार बंधुओं द्वारा उठायी जाने वाली समस्याओं से अवगत होने के बाद उसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में व्यापारियों द्वारा मुख्यतः उठाए गये मुद्दों में नगर निगम, यातायात पुलिस, पुलिस, विद्युत विभाग एवं नगर पालिका से संबंधित थे।व्यापारियों द्वारा रेहडी को पटरी पर लगाए जाने से मुख्य बाजारों में अतिक्रमण की समस्या को उठाया गया। इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा व्यापारी बन्धुओं से अपने-अपने दुकानों/प्रतिष्ठानों पर श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाए जा रहे "आपरेशन त्रिनेत्र" के तहत सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाने की अपील की गई।

**प्रेस नोट दिनांक-28.08.2024**

**जनपद-चन्दौली**

**□बाल संरक्षण पर चर्चा में एकजुट हुए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी**

**□पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र व पुलिस अधीक्षक चन्दौली के दिशा-निर्देशन में बाल कल्याण की मासिक समीक्षा बैठक, सम्बन्धित को दिया गया प्रशिक्षण**

**□श्री अनिल कुमार यादव यूनीसेफ वाराणसी मण्डल, बाल संरक्षण अधिकारी श्री किशन वर्मा, बाल न्यायपीठ चन्दौली श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, अध्यक्ष जे0जे0वी0 चन्दौली प्रियजदा सिंह, जिला समन्वय अधिकारी चन्दौली श्री गणेश कुमार विश्वकर्मा व श्री राजेश कुमार राय क्षेत्राधिकारी सदर चन्दौली की अध्यक्षता में किया गया मासिक समीक्षा बैठक**

**□बाल कल्याण सम्बन्धित प्रमुख एजेण्डा बिन्दु पर किया गया मासिक समीक्षा बैठक**

**□बाल कल्याण, पुलिस अधिकारियों द्वारा हेल्प लाइन नम्बर-1090/1098 एवं 181 व 112 के बारे में की गया चर्चा**

**□बाल विवाह, बाल श्रम, नाबालिक बच्चों द्वारा नशीली पदार्थो के सेवन, पाक्सो एक्ट जैसे मामलो पर रहा जोर**

**□"एक युद्ध नशे के विरूद्ध" अभियान पर विशेष चर्चा , नाबालिक बच्चों द्वारा नशीली पदार्थो के दुरूपयोग करने व नशीली पदार्थों के सेवन के रोकथाम पर दिया गया बल**

**चन्दौली** : सरकार द्वारा भी समय-समय पर विभिन्न तरह के कानून व बिल भी लाये गये जिसमे किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, पाक्सो एक्ट, बाल बिवाह प्रतिषेध अधिनियम के साथ साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में विस्तृत चर्चा की, समाज में बच्चों के प्रति बढती हिंसा, यौन अपराध व शोषण से बचाव पर चर्चा करते हुए कहा कि इसके लिए चाइल्डलाइन 1098 जैसे सेवाएँ कार्यरत है जिन पर आसानी से कॉल करके बच्चों की मदद की जा सकती है। बाल संरक्षण में पुलिस की भूमिका काफी अहम होती है। पुलिस की सक्रियता से बाल संरक्षण को बल मिल सकता है। बच्चों के अधिकारों के प्रति पुलिस प्रशासन को सजग रहना जरुरी है। ताकि बच्चों को संविधान प्रदत्त अधिकार मिल सके।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी के किशन वर्मा ने बताया कि अगर कहीं नाबालिग लड़के या लड़की की शादी होती है तो इस तरह की शादी को रोकने के लिए पुलिस को पहल करनी चाहिए ताकि बाल विवाह निषेध कानून का अनुपालन हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि गर्भस्थ शिशु से लेकर 18 वर्ष से कम तक के बच्चे-बच्ची किशोर न्याय अधिनियम-2015 के अधीन आता है।

**प्रशिक्षण के दौरान निर्गत आदेश -**

--पाक्सो एक्ट में त्वरित कार्यवाही की जाय एवं बयान समय से कराने के साथ ही साथ मेडिकल / विवेचना की कार्यवाही पूर्ण की जाय। बयान लेने वक्त आरोपित व्यक्ति अथवा उनका अधिवक्ता वहां नहीं रहना चाहिए। यह बयान पुलिस बाल कल्याण पदाधिकारी के रुप में लेगी।

--जे0जे0 एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों मे बाल अपचारी का एसबीआर रिपोर्ट समय से किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये जिससे बाल अपचारियों के मामलों में सुधार/न्याय दिलाया जा सके।

--एक युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान - नाबालिक बच्चों द्वारा नशीली दवाओं और मादक पदार्थो के दुरूपयोग करने और अवैध तस्करी / व्यापार की रोकथाम हेतु वितरण (कोटपा) अधिनियम-2003 एवं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री

अधिनियम (ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट) 1940 के तहत अनुपालनार्थ एवं रोक थाम हेतु निर्णय लिया गया है, जो "एक युद्ध नशे के विरूद्ध" अभियान चलाये जाने विषयक

--बाल विवाह के प्रकरणों में जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार के लिए आंगनबाडी के सदस्यों द्वारा, ग्राम प्रधानो के द्वारा, स्वास्थ्य केन्द्रो के माध्यम से प्रमुख चौराहा व जनमानस के आने जाने के स्थानों पर पोस्टर / बैनर चस्पा कर मिडिया के द्वारा एवं सोशल मिडिया के द्वारा प्रचार प्रसार कर के जागरुक करना।

--बाल श्रम-के सम्बन्ध में भी मिडिया, सोशल मिडिया, पोस्टर बैनर आदि चस्पा कर बाल श्रम के सम्बन्ध में जागरुक करना। क्योंकि बाल श्रम कराने वाले व्यक्तियों का यह कृत्य अपराध के श्रेणी में आता है, जनता को बोध कराना।

-- दूर ट्रैवेल्स एजेन्सी/एजेण्ट जो विदेश में नौकरी के नाम पर अवैध वसूली / अनाधिकृत उत्प्रवासन के कार्यों में संलिप्त है जो बेलगाम अवैध भर्ती एजेन्टों के विरूद्ध कृत कार्यवाही की जाये।

--भूले-भटके बच्चों को यदि पुलिस बरामद करती है तो ऐसे बच्चों को पुलिस को सबसे पहले बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए। इस मामले में आगे का निर्णय बाल कल्याण समिति लेगी।

--18 वर्ष से कम आयु के विधि विवादित बच्चे को पुलिस को सामान्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर किशोर न्याय मंडल के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसे बच्चों के मामले में आगे की निर्णय किशोर न्याय मंडल लेगी।
-विशेष किशोर पुलिस इकाई के नोडल पदाधिकारी एएसपी विनय कुमार सिंह नामित है। जबकि सभी थानाध्यक्ष बाल कल्याण पदाधिकारी नामित हैं।

साथ ही समीक्षा बैठक के दौरान क्षेत्राधिकारी सदर राजेश कुमार राय ने सम्बोधित करते हुए कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि किसी भी बच्चे का शोषण न हो, चाहे वह देखभाल व संरक्षण की श्रेणी का हो या विधि के विरूद्ध कार्य श्रेणी का हो हमें हर समय बच्चे का सर्वोत्तमहित देखना है

अनिल कुमार यादव यूनीसेफ वाराणसी मण्डल ने बालकों के विरुद्ध हो रहे अपराधों में की जा रही कार्यवाहियों व बाल किशोरों के खिलाफ पंजीकृत मामलों की विवेचनाओं की समीक्षा भी किया। पीड़ित बालकों से संबंधित सूचनाओं को गंभीरता से लेने व दोषियों के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम के तहत अविलंब कार्यवाही करने पर जोर दिया।

**प्रेस नोट दिनांक 28.08.2024**

## □थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

चंदौली:-श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अ0पु0अ0 सदर विनय सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चन्दौली गगनराज सिंह के कुशल नेतृत्व में कोतवाली चन्दौली पुलिस द्वारा मु0नं0 143/2024 धारा 186/332/352/353/504/506 भादवि व 7 सी.एल.ए.एक्ट थाना व जनपद चन्दौली में पंजीकृत है उक्त प्रकरण में वांछित अभियुक्त द्वारा दिनांक 17.06.24 को कालिका होटल पर पीआवी 4145 के कर्मचारी के साथ वर्दी पकड़कर खिचने व धक्का मुक्की करने व मां बहन की भद्दी- भद्दी गाली देते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये वहां से भाग गया था जिसके बाद वाछिंत अभियुक्त अभिषेक सिंह उर्फ छोटू पुत्र सत्यप्रकाश सिह नि0 बिछिया उम्र 25 वर्ष थाना व जनपद चन्दौली को घर से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत वांछित अभियुक्त के अनुपालन में नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया बाद गिरफ्तारी उपरोक्त वांछित अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**आपराधिक इतिहास-**

मु0अ0सं0 143/2024 धारा 186/332/352/353/504/506 भादवि व 7 सी.एल.ए.एक्ट
थाना व जनपद चन्दौली

**अभियुक्त का नाम व पता** –

1.अभिषेक सिह उर्फ छोटू पुत्र सत्यप्रकाश सिह नि0 बिछिया उम्र 25 वर्ष थाना व जनपद चन्दौली

**गिरफ्तारी टीम–**

1.प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह थाना व जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 दुर्गेश यादव थाना व जनपद चन्दौली
3.का0 इन्द्रजीत यादव थाना व जनपद चन्दौली
4.का0 धर्मेन्द्र सरोज थाना व जनपद चन्दौली

**प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-28.08.2024**
**जनपद चन्दौली**

**पुलिस अधीक्षक चन्दौली जनता दर्शन में आए फरियादियों की सुनी गई समस्याएं**
**जनता की समस्याओं को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर करे निस्तारण**
**जनता से प्राप्त प्रत्येक प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में स्वयं थानाप्रभारियों से वार्ता कर दिए निर्देश**

**चन्दौली-** जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 28.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई किया। जिसमें अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे फरियादियों के आवेदन लेकर उन्हें न्यायोचित/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का आश्वासन दिया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि फरियादियों की शिकायतों का गुणवक्ता के साथ निस्तारित करना व न्याय दिलाना ही चन्दौली पुलिस की प्राथमिकता है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न थानाक्षेत्रों से आए आवेदकों की शिकायतो को जनसुनवाई के माध्यम से गंभीरतापूर्वक सुना एवं संबंधित राजपत्रित अधिकारी (पुलिस) थाना प्रभारी से स्वयं वार्ता कर आवेदक की शिकायत का निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनसुनवाई के दौरान आने वाले नागरिकों/आवेदकों/ फरियादियों के साथ शिष्ट एवं विनम्र व्यवहार किया जाए व प्रत्येक आवेदक की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनाकर उसका गुण दोष के आधार पर सकारात्मक कार्यवाही की जाए।

**आज पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद-07, परिवारिक विवाद 04, साइबर सम्बन्धित 02, अन्य विवाद-21 कुल-34 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिनके निस्तारण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित भी किया गया।**

**प्रेस नोट दिनांक 28.08.2024**
**जनपद चन्दौली**

**□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस**
**□"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत हत्या का प्रयास करने के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास व 5000रु0 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।**
**□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोषश्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -3 चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास व 5000रु0 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी**
**जनपद चन्दौली थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-**

1-दिनांक 22.11.2011 को धारा 307,323,504,120 बी भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.निहोर मुसहर पुत्र मोती मुसहर निवासी शेखवां थाना सोनहन जिला कैमुर भभुआ बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 202/2011 धारा 307,323,504,120बी भादवि थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री रमाकान्त उपाध्याय (एसपीपी) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 28.08.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोषश्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -3 चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.निहोर मुसहर पुत्र मोती मुसहर निवासी शेखवां थाना सोनहन जिला कैमुर भभुआ बिहार को 07 वर्ष का कारावास व 5000रु0 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

**प्रेस नोट दिनांक 28.08.2024**
**जनपद चन्दौली**

**□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस**

**□"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चोरी करने के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 12000रु0 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

**□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री मती इन्दू रानी (सिविल जज (जू0डि0) जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 12000रु0 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी**

**जनपद चन्दौली थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-**

1-दिनांक 29.09.2023 को धारा 457,380,411 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.सूरज सेठ उर्फ बाबू पुत्र स्व0 रतन सेठ निवासी सुजाबाद पानी की टंकी के पीछे थाना रामनगर जनपद वाराणसी के विरुद्ध अपराध संख्या-325/23 धारा 457,380,411 भादवि थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री मनोज सिंह (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 28.08.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री मती इन्दू रानी (सिविल जज (जू0डि0) जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.सूरज सेठ उर्फ बाबू पुत्र स्व0 रतन सेठ निवासी सुजाबाद पानी की टंकी के पीछे थाना रामनगर जनपद वाराणसी को 01 वर्ष का कारावास व 12000रु0 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

**प्रेस नोट दिनांक 28.08.2024**
**जनपद चन्दौली**

**□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस**

**□"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चोरी करने के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 15000रु0 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

**□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री मती इन्दू रानी (सिविल जज (जू0डि0) जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 15000रु0 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

**जनपद चन्दौली थाना कन्दवा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-**

1-दिनांक 07.12.2022 को धारा 379,411,419,420 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.सुजीत कुमार राजभर उर्फ दारा सिंह पुत्र श्याम जी निवासी नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना कैण्ट जनपद वाराणसी के विरुद्ध अपराध संख्या- 152/22 धारा 379,411,419,420 भादवि थाना कन्दवा में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री मनोज सिंह (एपीओ) व थाना कंदवा के पैरोकार मुख्य आरक्षी प्रभात चौधरी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 28.08.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री मती इन्दू रानी (सिविल जज (जू0डि0) जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.सुजीत कुमार राजभर उर्फ दारा सिंह पुत्र श्याम जी निवासी नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना कैण्ट जनपद वाराणसी को 01 वर्ष का कारावास व 15000रु0 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

**प्रेस नोट दिनांक 28.08.2024**
**जनपद चन्दौली**

**□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस**

**□"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चोरी करने के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को 10 माह का कारावास व 12000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

**□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री मती इन्दू रानी (सिविल जज (जू0डि0) जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 10 माह का कारावास व 12000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

**जनपद चन्दौली थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-**

1-दिनांक 17.08.23 को धारा 379,411,414 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.लालू चौहान पुत्र स्व0 राम प्रवेश चौहान निवासी नुआव थाना नुआव भभुआ बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 274/23 धारा 379,411,414 भादवि थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री मनोज सिंह (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 28.08.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री मती इन्दू रानी (सिविल जज (जू0डि0) जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.लालू चौहान पुत्र स्व0 राम प्रवेश चौहान निवासी नुआव थाना नुआव भभुआ बिहार को 10 माह का कारावास व 12000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

**प्रेस नोट दिनांक-28.08.2024**
**थाना सकलडीहा जनपद चंदौली**

**थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा ने एक अभियुक्त को अवैध देशी शराब के साथ किया गिरफ्तार**

**चंदौली:-** श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध अंकुश लगाये जाने हेतू दिये गये निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष सकलडीहा संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा भ्रमण के दौरान कोट कस्बा सकलडीहा से एक अभियुक्त को 27 अदद अवैध देशी शराब ब्लू लाईम के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-136/2024 धारा 60 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

**पंजीकृत मुकदमा का विवरण–**
मु0अ0सं0-136/2024 धारा 60 उ0प्र0 अबकारी अधिनियम कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

**बरामदगी:-**
27 अवैध देशी शराब ब्लू लाईम (प्रत्येक शीशी 200 ml, कुल 5.400 लीटर अवैध देशी शराब)

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–**
रामचन्द्र सोनकर पुत्र बेचन राम सोनकर उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम इटवा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

**गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**
1.SO संजय कुमार सिंह कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 देव कुमार चौबे कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली
3.का0 अरविन्द सिंह कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली
4.का0 प्रश्विन कुमार दूबे कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

**प्रेस नोट दिनांक 28.08.2024**
**जनपद चन्दौली**

**□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस**

**□"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चोरी करने के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को 01 वर्ष 05 माह का कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

**□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री मती इन्दू रानी (सिविल जज (जू0डि0) जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 वर्ष 05 माह का कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

**जनपद चन्दौली थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-**

1-दिनांक 04.02.24 को धारा 380,511 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.अल्ताफ खान पुत्र सद्दाम खान निवासी वाहिद नगर पवारी नगला थाना कवारसी जनपद अलीगढ के विरुद्ध अपराध संख्या- 41/2024 धारा 380,511 भादवि थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री मनोज सिंह (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 28.08.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री मती इन्दू रानी (सिविल जज (जू0डि0) जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.अल्ताफ खान पुत्र सद्दाम खान निवासी वाहिद नगर पवारी नगला थाना कवारसी जनपद अलीगढ को 01 वर्ष 05 माह का कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

**प्रेस नोट दिनांक- 28.08.2024**
**जनपद चन्दौली**

**□ जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान**
**□ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 49 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।**

**चन्दौली:-** सड़क पर, कार में, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके और आपकी वजह से दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें जानते सब हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी दिखाने, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में विधिवत जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

**इसी क्रम में 28.08.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 49 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**